

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

!! संकल्प !!

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि डा० विनोद पाठक, सेवानिवृत्त प्राचार्य, राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय-सह-चिकित्सालय, बेगूसराय के पदस्थापन काल में गभीर अनियमितता बरती गयी है, जैसा कि आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार के राज्यपाल ने संकल्प किया है कि उक्त डा० विनोद पाठक के विरुद्ध अनुबंध में वर्णित आरोपों के लिए बिहार पेशन नियमावली, 1950 के नियम-43(ख) के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार पेशन नियमावली, 1950 के नियम-43(ख) के अधीन डा० अल्का सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-16, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3 डा० विनोद पाठक से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात किसी भी समय जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित हो।

4. इसमें माननीय मंत्री, स्वास्थ्य की सहमति प्राप्त है।

आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/उपस्थापन पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के अवर सचिव

पटना, दिनांक :- 23.12.2024

ज्ञापांक :- 16/ए.3-09/2022-1401 (आ. नि.)

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित डा० अल्का सिन्हा, अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना (संचालन पदाधिकारी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जाँच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

पटना, दिनांक :- 23.12.2024

ज्ञापांक :- 16/ए.3-09/2022-1401 (आ. नि.)

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र एवं साक्ष्यों की प्रति सहित प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-16, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (उपस्थापन पदाधिकारी) को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

पटना, दिनांक :- 23.12.2024

ज्ञापांक :- 16/ए.3-09/2022-1401 (आ. नि.)

प्रतिलिपि :- डा० विनोद पाठक, सेवानिवृत्त प्राचार्य, राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय-सह-चिकित्सालय, बेगूसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आईटी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wanthank 23/12/24

सरकार के अवर सचिव

3